न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 05/2021

1 रामा उम्र 90 साल पत्नी दुलिया
2 सूरत सिंह उम्र 65 साल पुत्र दुलिया
3 विधाधर उम्र 62 साल पुत्र दुलिया
4 प्रेमचन्द उम्र 60 साल पुत्र दुलिया
समस्त जाति मेघवाल निवासीगण पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 बलबीर पुत्र नन्दलाल जाति जाट दत्तक पुत्र श्रीमती सिनगारी बेवा हरजी कोम मेघवंशी साकिन दूदी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2020
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
बमुकदमा उनवानी दुलिया बनाम बलबीर वगै.
मु.नं. 118/2013 दावा बाबत घोषणात्मक रिकार्ड
दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री हजारी लाल सुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 01.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 118/2013 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में ग्राम पीपली की भूमि खसरा नम्बर 332, 236 के संदर्भ में घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2020 पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का व रिकार्ड का विधिक विवेचन नहीं किया तथा विधि की पालना किये बिना तथा रिकार्ड की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 42 व धारा 46 ए पर गौर किये बिना निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। विवादित भूमि राजस्व अभिलेख के अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थी के पूर्वजो की खातेदारी में संवत 2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय रही है

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

इस प्रकार विवादित आराजी अपीलान्ट की पैत्रक सम्पति है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा धारा 42 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति की कृषि भूमि का अन्तरण स्वर्ण जाति के नाम नहीं हो सकता इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर गौर किये बिना निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2020 पारित की है। विवादित आराजी अपीलान्ट के पूर्वजो की रही है तथा राजस्व रिकार्ड में इस बात का अंकन है तथा प्रश्नगत गोदनामा जो कि तथाकथित बलबीर दतक पुत्र सिनगारी बेवा हरजी कोम मेघवंशी अपने आप को सिनगारी का दतक पुत्र बताकर विवादित अराजियात में अपना हिस्सा क्लेम कर रहा है जो कि विधि विरूद्ध है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 1 बलबीर जाति से जाट है जबकि अपीलान्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि किसी भी सूरत में स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम अन्तरण नहीं की जा सकती इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2020 पारित की है। विवादित भूमि पर प्रार्थी/अपीलान्ट का कब्जा है तथा कब्जे के महत्वपूर्ण बिन्दू पर गौर किये बिना विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2020 पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दस्तावेजात से विवादित आराजियात खातेदारी काश्त की भूमि रही है परन्तु नामान्तकरण संख्या 552 के मुताबिक विवादित भूमि खसरा नम्बर 236 वाके मौजा पीपली की खातेदारी मुताबिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2006 से बलबीर पुत्र नन्दलाल दत्तक पुत्र श्रीमती सिंनगारी बेवा हरजी कोम मेघवंशी सा. दूदी से हजफ कर राजस्थान सरकार की खातेदारी में दर्ज की गयी है। विवादित आराजियात सरकारी भूमि होने से पुनः वादीगण को खातेदारी अधिकारी दिया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(बलदेवाराम धोलाक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर